



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

06.06.2022

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जुआ/सट्टा व अन्य आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध सम्पत्ति अर्जित करने वाले शातिर अभियुक्त सनी कबाड़िया के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्की/सम्पत्ति जब्तीकरण (अनुमानित कीमत 3.1 करोड़ रुपये /-) की कार्यवाही.....

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माफियाओं के विरुद्ध की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में, पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में सख्त एवं कठोर कार्यवाही करते हुये तथा इसी क्रम में मा० जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश वाद संख्या - 5052/2022 सरकार बनाम अभियुक्त सनी कबाड़िया सम्बन्धित थाना जगदीशपुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 66/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अन्तर्गत धारा 14(1) अधि० गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 दिनांक 05.06.2022 के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 06.06.2022 को पुलिस अधीक्षक नगर आगरा, एसीएम तृतीय, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी, थाना प्रभारी जगदीशपुरा व अन्य थानों के पुलिस बल द्वारा जुआ/सट्टा जैसे अवैध कृत्य कर, अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले /गैंगस्टर अभियुक्त सनी कबाड़िया के विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश के अनुक्रम में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गयी तथा अचल सम्पत्ति को ताला बन्दी कर सील सर्व मोहर किया गया।

आम जनता को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति इन सम्पत्तियों को क्रय विक्रय न करे, यदि कोई व्यक्ति क्रय विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्तगण का विवरण:-

1. सनी कबाड़िया पुत्र रामबाबू निवासी भगत की झोपड़ी नगला गूलर थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1. नगला अलबतिया स्थित 01 प्लॉट व उस पर निर्मित मकान की अनुमानित कीमत कुल रू० 60,00,000/- ।
2. मौहल्ला लक्ष्मीनगर लक्ष्मीनगर मौजा भोगीपुरा स्थित प्लॉट व उस पर निर्मित मकान की अनुमानित कीमत रू० 1,10,00,000/- ।

3. अलबतिया स्थित प्लाट व निर्मित वाणिज्यक दुकान की अनुमानित कीमत कुल रू0 55,00,000/-।
4. मौहल्ला भगत की झौपडी स्थित 01 मंजिला रिहाइशी रकवा एवं इस प्रोपर्टी पर 03 मंजिला भवन एवं इन चार भवनों में स्थापित हाउस होल्ड इफेक्ट्स गुड्स की अनुमानित कीमत रू0 85,03,900/- ।
4. 03 बैंक खातों में राशि रू0 285/- ।

कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपये है।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 136/11 धारा 13 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
2. मु0अ0सं0 715/12 धारा 110 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
3. मु0अ0सं0 230/ 17 धारा 363/366 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
4. मु0अ0सं0 249/18 धारा 13 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
5. मु0अ0सं0 207/19 धारा 323/377 भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
6. मु0अ0सं0 339/19 धारा 3/4 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
7. मु0अ0सं0 398/19 धारा 147/148/149/307/452/323/504)506 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
8. मु0अ0सं0 76/ 21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जनपद आगरा ।
9. मु0अ0सं0 456/21 धारा 3/4 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
10. मु0अ0सं0 284/21 धारा 147/148/336/504/506/188/269 भादवी व 3/4 महामारी अधिनियम थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
11. मु0अ0सं0 580/21 धारा 3/4 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
12. मु0अ0सं0 797 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
13. मु0अ0सं0 13/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा
14. मु0अ0सं0 279/17 धारा 395/147/352/323/427 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
15. मु0अ0सं0 290/22 धारा 3/4 जी एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।
16. मु0अ0सं0 66/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा।